

3103

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-9/2015

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 0.1729 ha of forest land in favour of M/s Yashwinder Singh stone Crusher Nirath for the establishment of crusher and approach road to quarry site mauza Nirath within the jurisdiction of Rampur Forest Division, District, Shimla, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/08/64/2015/2227** दिनांक **01-01-2016** के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दक्षित **0.1729** हेक्टेयर वन भूमि को **M/s Yashwinder Singh Stone Crusher Nirath** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF-Shardal में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 0.3458 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना क्षेत्र में खाली स्थानों पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण तथा उसका 7 से 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 6 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 8 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द्वाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय अधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

APCCF(FCA)

Ref

22/

प्र.सं.अ.पा. दि. 30

सं. 4326

22/01/16

Contd./2

- 13 विधिवत स्वीकृति की अवधि पन्द्रह वर्ष होगी तत्पश्चात, वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को वापस सौंपा जायेगा।
- 14 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
- 15 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 16 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Solan, H.P.

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Date: Shimla-171001 the,...

Endst. No FFE-B-F(2)-9/2015 (FCA)

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Parvathan Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt., Shimla Himachal Pradesh.
5. CCF Rampur/ DFO, Rampur Forest Division, Distt., Shimla, H.P.
6. M/s Yashwinder Singh Stone Crusher Nirath for information.
7. Guard File.

(Sat Pal Dhiman)

Deputy Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Ft. 48-3103/2015(FCA)

Copy is forwarded to CCF (IT) for information and further necessary action. He is requested to upload the formal order on the Web Site of Forest Department as issued by Addl. Chief Secretary (Forests) to GoHP at the earliest please.

Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1.